न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– मूल चन्द आर.ए.एस.

अपील संख्या 2016/00153 (256/2016) 225 आरटीएक्ट

विनोद पत्नी औमप्रकाश जाति जाट निवासी कुंजी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

–अपीलाण्ट

बनाम

1. चन्द्रावती उर्फ चावली पुत्री रामसुख पत्नी नत्थुराम जाति जाट उम्र 75 वर्ष निवासी कुंजी हाल निवासी खचवान तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. उमी पुत्री रामसुख पत्नी गणपत जाति जाट उम्र 73 वर्ष निवासी कुंजी हाल निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. कमलादेवी पत्नी स्व0 कालूराम जाति जाट निवासी कुंजी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
4. धापा बेवा डुंगर जाति जाट निवासी कुंजी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
5. विमला पुत्री डुगर पत्नी संतलाल जाति जाट निवासी कुंजी हाल निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. लीलावती पुत्री डुंगरराम पत्नी दौलतराम जाति जाट निवासी कुंजी हाल निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. राजबाला
8. फतो
9. सावित्री
10. नानकौर
11. सुमन
12. शारदा

पुत्रियॉ कालूराम जाति जाट निवासीगण कुंजी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

13. राजस्थान सरकार जरिये तहसील (राजस्व) भादरा।

–रेस्पोडेण्ट्

विरूद्ध आदेश दिनांक 03.06.2015 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा जिला हनुमानगढ
प्रकरण संख्या 283/2013 बअनवानी चन्द्रावती आदि बनाम कमलादेवी आदि

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री विजयसिंह कड़वासरा, श्री प्रदीपमोहन भाटी, श्री मदनसिह चोटिया अधिवक्ता रेस्पो0
श्री मांगीलाल गोदारा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांकः– 15/4/19

1. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2/प्रार्थीगण दरख्वास्त 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया। दरख्वास्त में गैरसालान के विरूद्ध प्रश्नगत भूमि को रहन बैय या अन्य तरीके से मुंतकिल नहीं करने एवं रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति का अनुतोष मांगा। विचारण न्यायालय ने दिनांक 19.11.2013 को

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

Web Copy Not Official

एकपक्षीय स्थगन जारी किया। उसके बाद इस स्थगन आदेश को दिनांक 03.06.2015 को ताफैसला अर्जीदावा कन्फर्म किया है, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

2. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि मालूराव व उसकी पत्नी लिच्छी के नाम होने के संबंध में कोई साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गइ है। प्रश्नगत भूमि डूंगर पुत्र रामसुख की थी। डूंगर ने अपने जीवनकाल में अपने पौते औमप्रकाश के नाम दर्ज करवा दी थी। डूंगरराम व कालूराम की मृत्यु के बाद डूंगर की पत्नी धापा व गैर सायल सं. 3 व डूंगर की दो पुत्रियॉ विमला व लीलावती तथा कालूराम की छः पुत्रियॉ क्रमशः राजबाला, फत्तो, सावित्री, नानकौर, सुमन व शारदा गैर सायल सं0 6 से 11 ने अपने समस्त हक व हिस्सा की दस्तबरदारी त्याग पत्र कालूराम की पत्नी गैर सायल सं0 1 व उत्तरदारता गैर सायल सं0 2 के पति औमप्रकाश के हक में ब0हि0ब0 सब रजिस्ट्रार कार्यालय भादरा मे दिनांक 25.04.2011 को निष्पादित करवा दी। इस प्रकार वाद भुमि के दोनों खातों में गांव किकराली की 4.4770 है. भूमि का खातेदार कातश्कार गैर सायला सं0 2 का पति औमप्रकाश व गांव कुंज के खाता संख्या 35/38 की 1973 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार गैर सायल सं0 1 कमला व गैर सायल सं0 2 के पति और प्रकाश ब0हि0ब0 के खातदार कातश्कार हो गये। उत्तरदाता गैर सायल सं0 2 के पति औमप्रकाश की दिनांक 04.10.2013 को सड़क दुर्घटना में मुत्यु हो गई इसलिए दोनों खातों की भूमि में से किकराली वाली 4.4770 है0 भूमि की खातेदार काश्तकार मृतक औमप्रकाश की पत्नी गैर सा0 सं0 1 विनोद हो गई। इसलिए दोनों खातों की भूमि में से किकराली वाली भूमि औमप्रकाश की पत्नी विनोद की रह गई, लेकिन गैर सायलान सं0 1 व 3 से 11 के मन में बेईमानी आ गई और गैर सायल सं0. 2 को उसके हिस्से से वंचित रखने के लिए उन्होंने दुर्भी संधी करली कपट पुर्वक अधीनस्थ न्यायालय में इकबाल दावा पेश किया है। प्रश्नगत भूमि में चन्द्रावती उर्फ चावली व उमी सायलान का कोई हक हिस्सा नहीं है न ही उनका वाद में कोई हक हिस्सा है। वे किसी श्रेणी के टिनेंट नहीं है। प्रश्नगत प्रकरण मात्र विधवा औरत को उसे अपने पति जिसकी मृत्यु हाल ही में सडक दुर्घटना में हो गई है कि भूमि का विरास्तन नामान्तरकरण अपने नाम दर्ज करवा लेने से रोकने की नियत से प्रस्तुत किया गया है। दिनांक 05.05.2015 को पत्रावली के कैम्प कोर्ट में पेश होने बाबत कोई हिदायत नहीं दी न ही कोई नोटिस इस बाबत पक्षकारान को नही दिया गया ना ही आदेशिका दिनांक 05.05.2015 वे 03.06.2015 पर पक्षकारान व उसके अभिभाषकगण के कोई हस्ताक्षर हैं, जिससे स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश पक्षकारान की गैर हाजिरी मे प्रसारित किया गया है। अपीलाधीन निर्णय न्यायिक निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है। अपीलाधीन निर्णय का अभियान में होने के कारण अपीलाण्ट को उक्त आदेश का ज्ञान नहीं हुआ। ज्ञान होते ही अपील प्रस्तुत कर दी गई है। डिले कन्डोन की जाकर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि पत्रावली में पूर्व में एकपक्षीय स्थगन आदेश जारी किया गया था। अभियान में उक्त एकपक्षीय स्थगन आदेश को केवल मात्र ताफैसला अर्जीदावा कन्फर्म किया गया है। अभियान की जानकारी सभी को दी जाती है। अपीलाण्ट को भी अभियान की जानकारी थी। उसके अधिवक्ता वाद में हाजिर रहे है। अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। अतः मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।
5. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एव पत्रावली का अवलोकन किया।
6. प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम उसके साथ संलग्न शपथ–पत्र एवं पत्रावली में अंकित तथ्यों एवं बहस में आये तथ्यों का मद्देनजर रखते हुए अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है।
7. जहां तक गुणावगुण का प्रश्नगत है अधीनस्थ न्यायालय में दरख्वास्त रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने प्रस्तुत की थी, जिसमें दिनांक 19.11.2013 को एकपक्षीय स्थगन आदेश पारित किया गया था। दिनांक 20.03.2015 की आदेशिका अनुसार पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। दिनांक 05.05.2015 का पत्रावली वास्ते बहस हेतु रखी गई, लेकिन दिनांक 03.06.2015 को पत्रावली में पूर्व में जारी स्थगन आदेश को सीधे ही कन्फर्म किया गया। स्थगन कन्फर्म करने के उचित कारण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस आदेशिका से यह प्रकट होता है आदेश दिनांक 03.06.2015 का आदेश बिना गुणावगुण पर विचार किये ही पारित किया गया है व अभियान में सरसरी तौर पर में पारित किया गया है। पत्रावली अभियान में पेश होने के संबंध में कोइ आदेश नही दिया गया है, जो उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है कि उभयपक्ष सुनकर गुणावगुण पर निर्णय पारित करे।
8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.06.2015 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है उभयपक्ष पक्ष को सुनकर गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.05.2019 को उपस्थित हों। दौराने सुनवाई विचारण न्यायालय का दिनांक 19.11.2013 को जारी अंतरिम आदेश प्रभावी रहेगा। अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.04.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

15/4/19

(मूल चन्द आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official